1813 का चार्टर एक्ट

लार्ड वेलेजली की आक्रमक युद्धों की नीति ने कम्पनी के वित्तीय भार को बहुत बढ़ा दिया था। अतएव संचालकों ने चार्टर के नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा। कुछ सदस्यों ने तो यहाँ तक माँग की कि कम्पनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार का तुरंत उन्मूलन किया जाए। जब 1813 के चार्टर अधिनियम पर विचार हो रहा था, इंगलैंड में इस बात के लिए भी जोरदार प्रचार किया गया और माँग की गई कि भारत में ईसाई पादरियों के प्रवेश पर लगी रोक को हटाया जाए। ऐसी परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ

1813 का चार्टर एक्ट

इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे :

(1) अधिनियम की प्रस्तावना में इस बात को औपचारिक रूप में जोर के साथ कहा गया कि कंपनी के अधीन प्रदेशों पर निःसंदेह ब्रिटिश ताज की प्रभुता थी।

(2) भारत के अधीन प्रदेशों और उनसे होने वाली आय पर कम्पनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया।

3. कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया और उसे सभी प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया। परंतु कंपनी के चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार के एकाधिकार पूर्ववत जारी रहे।

4) कंपनी के लिए यह आवश्यक बनाया गया कि वह व्यापार तथा राजस्व लेखों को अलग-अलग रखे।

5/ अंग्रेजों के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए बिशप तथा आर्क बिशप की नियुक्ति की गई तथा ईसाई धर्मप्रचारकों को भारत में धर्म-प्रचार के लिए अनुमति दी गई।

6/ कठोर लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत ब्रिटिश व्यापारी और पादरी भारत में आ सकते थे और यहाँ बस सकते थे। इस कार्य के लिए लाइसेंस संचालक मंडल दे सकता था और यदि वह मना करता तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे सकती थी।

7) इसमें यह प्रावधान सम्मिलित किया गया कि कंपनी भारत में ब्रिटिश अधीन प्रदेशों के निवासियों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रु० की व्यवस्था करेगी।

8) बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अधीक्षणा व नियंत्रण

की शक्तियों में कुछ नई वृद्धि की गई और उन्हें आगे परिभाषित भी किया गया।

9) कंपनी का सभी पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार पूर्ववत् बना रहा, परंतु उच्चतर पदों — गवर्नर-जनरल, गवर्नरों - के लिए ताज की स्वीकृति आवश्यक बना दी गई जिनमें नियंत्रण मंडली के अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक था।

10) भारत में यूरोपियनों के धार्मिक कल्याण हेतु कम्पनी के लिए यह आवश्यक बनाया गया कि वह कुछ धर्माधिकारियों (One bishop and three arch-deacons) की नियुक्ति करे। इसी व्यवस्था के परिणामस्वरूप भविष्य में भारत सरकार के चर्च सम्बन्धी विभाग का विकास हुआ।

अधिनियम में कहा गया कि "भारत में रहने वाले तथा वहाँ जाने वाले सभी लोगों को भारतीयों में "उपयोगी ज्ञान, धर्म तथा नैतिक उत्थान के प्रचार का अधिकार होगा' यह भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार की ओर उठाया गया पहला कदम था।

11) इस अधिनियम ने कम्पनी के नागरिक और सैनिक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की। यह व्यवस्था क्रमशः हैलीबरी (Haileybury) और एडिसकोम्बे (Adiscombe) के कॉलेजों द्वारा की गई। इस प्रावधान से अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन हुए — वाणिज्यिक संस्थान से एक शासन करने वाले निकाय — को मान्यता प्रदान की।

12) भारतीय राजस्व के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रावधान बना। यह स्पष्ट कहा गया कि प्रथम वरीयता सेना की भर्ती और सूद अदायगी, दूसरी नागरिक और व्यापारिक क्षेत्र में काम करने और तीसरी वरीयता कंपनी के राजस्व पर होने वाले व्यय को दी जायेगी।

वित्तीय परिस्थिति को देखकर अब कंपनी के व्यय पर क्राउन को भारत में 20,000 सैनिक भेजने का अधिकार हुआ। कंपनी भारतीय राजस्व द्वारा देय वेतन पर 20,000 भारतीय सेना रख सकती थी। सेना के लिए उसे नियम बनाने तथा सैनिकों का कोर्ट मार्शल करने का अधिकार मिला। लाभांश 10.5% का रखा गया और शेषांश का 5/6 % राज्य को देने का निश्चय हुआ। कंपनी के व्यापारिक लाभ से

और कोई धन तब तक देय नहीं होता था जब तक कि लाभांश वितरित नहीं करा दिया जाता था। राजस्व में धन के भेजने पर विशेष असफलताओं को झेलने हेतु कंपनी 10 लाख पौंड का धन अलग रख देती थी। इन धाराओं के आधार पर क्राउन की संप्रभुता भारत के कंपनी क्षेत्र पर प्रभावी हो गई।

न्याय के क्षेत्र में—

ब्रिटेन के व्यापारी भारत में लाइसेंस (बोर्ड द्वारा) लेकर बस सकते थे और अपना कार्य कर सकते थे। भारतीय क्षेत्र को भारत की सम्पत्ति माना गया और बिना लाइसेंस के प्रविष्ट होने वाले ब्रिटिश घुसपैठिए माने गए। भारतीय लोगों के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, उनपर प्रहार करने या नकद कर्ज लेने के मामलों को 'जस्टिस ऑफ पीस' के अधीन न्यायाय रखा गया। अंग्रेज व्यापारी, निवासी या प्रेसीडेंसी से 10 मील की दूरी तक अधिक सम्पत्ति रखने वाले नागरिक मुकदमों के लिए सिविल कोर्ट के अधीन रखे गए।

फौजदारी मुकदमों के लिए विशेष व्यवस्था थी। यह प्रावधान बना कि वे अंग्रेज जो प्रेसीडेंसी से 10 मील की अधिक दूरी पर रहते

है, इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जिला कोर्ट में कराना पड़ेगा। अवैध सिक्के ढालने, चोरी करते, झूठी शपथ खाने, धोखा-धड़ी के मुकदमों में फँसे लोगों को दंडित करने के लिए विशेष धाराएँ जोड़ी गईं।

इस अधिनियम के द्वारा और भी परिवर्तन लाए गए :

(i) भारत में कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20 हजार ब्रिटिश सैनिक रखने की व्यवस्था की गई।

(ii) कम्पनी के ऋण में कमी की गई और लाभांश $10\frac{1}{2}$% कर दिया गया।

(iii) व्यापारिक तथा राजस्व की पृथक लेखा व्यवस्था प्रारंभ की गई।

(iv) नियंत्रक मंडल के अधिकारों को और भी बढ़ा दिया गया

(v) स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।

समालोचना

यद्यपि इस अधिनियम ने कंपनी के संविधान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, फिर भी यह कई कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण था।

सर्वप्रथम कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेशों पर ताज की प्रभुता को स्पष्ट रूप से घोषित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों में काफी विस्तार किया गया, जिसके फलस्वरूप कंपनी को ताज और पार्लियामेन्ट के अधीन अधिक मात्रा में रखा गया। कंपनी के सेवकों के लिए नागरिक व सैनिक प्रशिक्षण की संस्थाओं पर भी बोर्ड का नियंत्रण स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया, जो भावी विकास के लिए अति महत्वपूर्ण था।

इस अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय व्यापार के लिए कंपनी के एकाधिकार का अन्त करना था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार में अनेक प्रतियोगी हो गये। परंतु इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसने भारत के युगों पुराने कपड़े के उद्योग को नष्ट कर दिया, भारत को कच्चे माल की पैदावार पर निर्भर बनाया।

भारत में ईसाई पादरियों के प्रवेश पर निषेध हटाए जाने का भी भारत के सामाजिक जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। भारतीय शासन में धर्म-प्रचार के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई और भारतीय करदाता के मूल्य पर इस देश में बिशप और आर्कबिशप की नियुक्ति की गई। यद्यपि

मिशनरियों के कारण भारत में स्कूल तथा कॉलेज खुले और शिक्षा का प्रचार हुआ किंतु इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि ये मिशनरियाँ तीव्र ही विरोध भाव से ग्रस्त हो गई। इससे अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भारतीय राष्ट्र भाव पैदा हो गया।

1813 और 1833 के मध्यकाल काल में इंगलैंड के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महान परिवर्तन हो गया था। भारत में ब्रिटिश पूंजी के आगमन से शोषण का नया युग शुरू हुआ। डॉ ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में "इसी समय से भारतीय उद्योगों का विनाश, कृषि पर उनकी निर्भरता और जनता की दरिद्रता शुरू हुई।